

उपायुक्त का कार्यालय, लोहरदगा

प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का न्यायालय (सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

अपील वाद संख्या 04/2018


भैया सुरेन्द्र नाथ शाह

बनाम

जन सूचना पदाधिकारी

--सह--जिला स्थापना उप समाहर्ता


लोहरदगा ।

| आदेश क्र०/तिथि | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ |
|----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 29.09.18 | <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह अभिलेख सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत भैया सुरेन्द्र नाथ शाह, ग्राम-हरमू रोड नदिया, लोहरदगा, पो0 -हरमू थाना-लोहरदगा, जिला लोहरदगा के अपील के आधार पर यह अभिलेख संधारित किया गया है ।</p> <p>अपीलकर्ता के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) के तहत जन सूचना पदाधिकारी-सह-जिला स्थापना उप समाहर्ता, लोहरदगा से दिनांक 16.07.2018 को सूचना मांगी गई है जिसे उपलब्ध नहीं कराये जाने पर इनके द्वारा अपील दायर किया गया है । अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना अंचल अधिकारी, लोहरदगा से संबंधित है ।</p> <p>सुनवाई के क्रम में जन सूचना पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक 1987, दिनांक 15.09.2018 के द्वारा अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करा दिया गया है। अपीलकर्ता द्वारा लिखित रूप से वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है एवं वे प्राप्त सूचना से संतुष्ट हैं।</p> <p>अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">  29/9/18 प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, (सूचना का अधिकार अधिनियम) </p> | |

ज्ञापांक :- 1373

दिनांक :- 29.09.18

प्रतिलिपि :- भैया सुरेन्द्र नाथ शाह, ग्राम-हरमू रोड नदिया, लोहरदगा, पो0 -हरमू थाना-लोहरदगा, जिला लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित ।


 29/9/18
 प्रथम अपीलीय पदाधिकारी,
 (सूचना का अधिकार अधिनियम)